

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/70/2023

प्रवेश तिथि
30-10-2023

निर्णय दिनांक
04-12-2023

1- State Bank of India, Branch, Panchkula through its authorized officer

प्रार्थी

बनाम

- 1- Sh. Ahmed Iftikhr S/O Sh. Iftikhar Abdul Kaleen, Add. (1st) 109 Dhul Siras Block- 25, Near Jaggi Green Garden, Sector-25, Dwarka, Dhulsiras, South West Delhi & Add (2nd) Flat No. 609 – 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा।
- 2- Smt. Kahkashan Gulzar W/O Sh. Ahmed Iftikhar, R/O Flat No 609- 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi, तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, State Bank of India, Branch, Panchkula की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को 2940196/- रुपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat No. 609 – 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi तहसील टपूकडा (मालिक- Smt. Kahkashan Gulzar W/O Sh. Ahmed Iftikhar Vide New Sab Lease Deed (Sale Deed) No. 201703111102827) जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 27.12.2022 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनांक 10.02.2019 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Flat No. 609 – 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi तहसील टपूकडा (मालिक- Smt. Kahkashan Gulzar W/O Sh. Ahmed Iftikhar Vide New Sab Lease Deed (Sale Deed) No. 201703111102827) जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 27.12.2022 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि बकाया 2940196/- रुपये एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14




4/12/23
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा


के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat No. 609 – 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi तहसील टपूकडा (मालिक— Smt. Kahkashan Gulzar W/O Sh. Ahmed Iftikhar Vide New Sab Lease Deed (Sale Deed) No. 201703111102827) जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान) का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति Flat No. 609 – 6th Floor, Block Amethyst-1, BDI Sunshine City, Bhiwadi तहसील टपूकडा (मालिक— Smt. Kahkashan Gulzar W/O Sh. Ahmed Iftikhar Vide New Sab Lease Deed (Sale Deed) No. 201703111102827) जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान) को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-12-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय

में सुनाया गया।




4/12/23
(हनुमान मल ढाका)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल—तिजारा